

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांक प.23(17) परि/प्र.नि./योजना/2017/पार्ट-I/15833


जयपुर, दिनांक 17/8/20

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।

विषय:- राजस्थान मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2017 में जारी प्राधिकार पत्र की वैधता लॉकडाउन अवधि में मान्यता बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजस्थान मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2017 में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र जारी प्राधिकार पत्र की वैधता लॉकडाउन अवधि दिनांक 01.02.2020 से 30.06.2020 के मध्य समाप्त हो चुकी है। उसका अधिकार पत्र की वैधता दिनांक 30.06.2020 तक मान्य की जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन राजस्थान मोटर वाहन प्रदूषण जांच केंद्र योजना 2017 के अंतर्गत वाहन प्रदूषण जांच केंद्र को जारी प्राधिकार पत्र की वैधता समाप्त होने पर भी लॉकडाउन अवधि 01.02.2020 से 30.06.2020 के दौरान मान्य की जाती है। इस दौरान समाप्त प्राधिकार पत्रों के नवीनीकरण पर शास्ती दाय नहीं होगी।



(रवि जैन)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक प.23(17) परि/प्र.नि./योजना/2017/पार्ट-I/15834-38 जयपुर, दिनांक 17/8/20

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
2. समस्त सयुक्त परिवहन आयुक्त।
3. समस्त उप परिवहन आयुक्त।
4. सिस्टम एनालिस्ट
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्र.नि.)